Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.)
Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS/SUGGESTIONS AND PUBLIC HEARING

In compliance to Hon'ble APTEL order dated 06/05/2022 passed in Appeal No.72 of 2016 and 100 of 2016, the Commission directed M/s Jindal Steel and Power Ltd. to file petition for determination of generation tariff for the control period from FY 2022-23 to FY 2024-25 along with true-up petition from FY 2011-12 to FY 2020-21 in respect of Raigarh Captive Power Plant (RCPP) and Donga Mahua Captive Power Plant (DCPP). In response, M/s JSPL informed that as surplus power and adequate quantity of coal are not available, M/s JSPL is initiating process for long term power procurement through competitive bidding process as per aforesaid, Hon'ble APTEL's order.

In absence of the tariff petition, the Commission has registered suo-motu petition No.60/2022 and 61/2022 to determine tariff of DCPP and RCPP.

The proposed parameters and principles for computation of generation tariff are available in the website of the Commission www.cserc.gov.in. The data and information available with the Commission are used for proposing the operating and financial parameters.

Objections/Suggestion on the aforesaid petition may be submitted to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office Vidyut Niyamak Bhavan, New Shanti Nagar, Raipur (C.G.) 492001 within 21 days of the publication of this notice.

A public hearing on the aforesaid Petition shall be held on 12/10/2022 in the Court room of the Commission at 11:30 AM.

SECRETARY

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालानी, शांति नगर, रायपुर 492001
फोन नं. 0771-4073568 फैक्स नं. 0771-4073553
वेब साईट www.cserc.gov.in ई–मेल : cserc.sec.cg@nic.in

आपत्ति/सुझाव एवं जन सुनवाई हेतु सूचना

माननीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील क्रमांक 72/2016 एवं 100/2016 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 के परिपालन में आयोग द्वारा मेसर्स जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड (जेएसपीएल) को वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 के ट्रू–अप एवं वर्ष 2022–23 से वर्ष 2024–25 तक की अवधि के लिए रायगढ़ सीपीपी एवं डोंगामहुआ सीपीपी के टैरिफ निर्धारित किए जाने हेतु याचिका दायर करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रतियुत्तर में मेसर्स जेएसपीएल द्वारा सरप्लस पॉवर न होने एवं कोयले की अनुप्लब्धता का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में मेसर्स जेएसपीएल द्वारा दीर्घ अवधि विद्युत क्रय हेतु निविदा जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।

उक्त परिपेक्ष्य में माननीय प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा स्वःप्रेरणा से याचिका क्रमांक 60/2022 एवं 61/2022 पंजीकृत की गई है।

प्रस्तावित पैरामीटर एवं सिद्धांत से संबंधित दस्तावेज़ की प्रति आयोग की वेबसाईटः www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर, आयोग द्वारा रायगढ़ सीपीपी एवं डोंगामहुआ सीपीपी के टैरिफ के निर्धारण हेतु उपयोग में आने वाले विभिन्न पैरामीटर एवं टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं।

उपरोक्त स्वःप्रेरित याचिका पर आपत्ति/सुझाव इस आमसूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर को प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त याचिका पर जन–सुनवाई दिनांक 12.10.2022 को प्रातः 11:30 बजे आयोग के कोर्ट कक्ष में आयोजित की जावेगी।

सचिव